

ईरान-अमेरिका के बीच हुई बातचीत ईडी का अरुणाचल में कई जगहों पर छापा

मस्कट, 06 फरवरी. ईरान के विदेश मंत्री अब्बास अराघची ने कहा है कि शुरुआत के कई दौर की बैठकों के बाद अमेरिका के साथ बातचीत की अच्छी शुरुआत हुई है, लेकिन उन्होंने स्पष्ट किया कि आगे की प्रगति दोनों देशों की राजधानियों में होने वाली चर्चाओं पर निर्भर करेगी।

श्री अराघची ने बताया शुरुआत कई दौर की बैठकें हुईं। हमारे विचार और चिंताएं बहुत सौहार्दपूर्ण माहौल में साझा की गईं। कुल मिलाकर, यह एक अच्छी शुरुआत थी, लेकिन इसकी निरंतरता राजधानियों में होने वाले विचार-विमर्श पर निर्भर करती है। उन्होंने कहा, अब हम ऐसे मोड़ पर हैं जहाँ आठ



अशांत महीनों के बाद बातचीत फिर से शुरू हुई है। श्री अराघची के अनुसार, पिछले साल के संघर्ष के बाद व्याप्त अविश्वास एक बड़ी बाधा बना हुआ है। उन्होंने कहा, 12 दिनों के युद्ध के बाद जो

अविश्वास पैदा हुआ, वह बातचीत के मार्ग में एक बड़ी चुनौती है। श्री अराघची ने जोर देकर कहा, हमें सबसे पहले इस अविश्वास को दूर करना होगा और बातचीत के लिए एक ढांचा तय करना होगा।

बंगाल में मतदाताओं का नाम हटा रहा चुनाव आयोग- तृणमूल

नई दिल्ली, 6 फरवरी. तृणमूल कांग्रेस ने शुरुआत के चुनाव आयोग पर पश्चिम बंगाल में मतदाता सूची से बड़े पैमाने पर नाम हटाने का आरोप लगाया और कहा कि ये नाम चुनाव निकाय द्वारा इस्तेमाल किए गए एक रहस्यमय खराब सॉफ्टवेयर के जरिये हटाए गए हैं।

तृणमूल कांग्रेस के राज्यसभा के सांसद साकेत गोखले ने कहा कि अब तो आयोग के अधिकारियों ने भी मान लिया है कि सॉफ्टवेयर में गड़बड़ी के कारण सही वोटों के नाम मतदाता सूची से हटा दिए गये। उन्होंने दावा किया कि मुख्यमंत्री ममता बनर्जी और पार्टी के राष्ट्रीय महासचिव अभिषेक बनर्जी ने कई महीनों से इस मुद्दे को उठाया है।

उन्होंने कहा-आखिरकार आयोग के अधिकारियों ने भी मान लिया है कि बंगाल की मतदाता सूची से बड़े पैमाने पर नाम एक रहस्यमय खराब सॉफ्टवेयर के कारण हटाए गए हैं। उन्होंने कहा हमारे नेताओं ने महीनों से इस ओर इशारा किया है और फिर भी मुख्य चुनाव आयुक्त ज्ञानेश कुमार चुप रहे हैं। कथित सॉफ्टवेयर पर सवाल उठाते हुए श्री गोखले ने कहा कि यह प्रणाली किसने बनायी और खराब होने के बावजूद इसका इस्तेमाल क्यों किया गया। उन्होंने कहा, आयोग के लिए यह रहस्यमय सॉफ्टवेयर किसने बनाया जो सही वोटों के नाम हटा देता है? आयोग यह जानते हुए भी कि यह खराब है, इस सॉफ्टवेयर का इस्तेमाल क्यों नहीं रोक रहा है?

चुराचांदपुर में शपथ ग्रहण विरोध पर हिंसा

मणिपुर, 6 फरवरी. चुराचांदपुर जिले में गुरुवार को हिंसा भड़क गई, जब नए उपमुख्यमंत्रियों ने मन्चा किपेन और लोसे दिखो के शपथ ग्रहण के खिलाफ प्रदर्शन हिंसक रूप ले लिया। तुइबोंग मेन मार्केट में सैकड़ों युवा प्रदर्शनकारियों ने सुरक्षाबलों को वापस बैरक में धेजने की कोशिश की, लेकिन जब वे नहीं माने तो पत्थरबाजी शुरू हो गई और कुछ लोगों ने सड़क पर टायर भी जला दिए। आदिवासी संगठन जॉइंट फोरम ऑफ सेवन ने चुराचांदपुर में शुरुआत से 12 घंटे का बंद बुलाया है। वहीं, कुछ संगठनों ने नेन्चा किपेन को मारने वाले को 20 लाख और विधायकों एलएम लाउते व एन सेनाते को मारने वाले को 10-10 लाख का इनाम देने का ऐलान किया है।

डिएगो गार्सिया बेस को सुरक्षित करना अमेरिका का अधिकार : ट्रंप

वाशिंगटन, 6 फरवरी. अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप ने डिएगो गार्सिया में अमेरिकी सैन्य मौजूदगी को लेकर सख्त रुख अपनाया है।

उन्होंने कहा कि वह इस बेस को कभी खतरे में नहीं पड़ने देंगे और अगर भविष्य में कोई लीज समझौता अमेरिका और अमेरिकी सेना को खतरा होता है तो वे इसे 'मिलिट्री तरीके से सुरक्षित और मजबूत' करने का अधिकार रखते हैं। ट्रंप ने ब्रिटिश प्रधानमंत्री कोरि स्टार्मर से इस मामले पर बातचीत की और इसे अमेरिका की राष्ट्रीय सुरक्षा के लिए महत्वपूर्ण बताया।



उन्होंने इस महज हादसा मानने से इनकार करते हुए सरकार की लापरवाही का नतीजा बताया है। केजरीवाल का यह बयान सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म 'एक्स' पर सामने आया, जिसके बाद राजनीतिक हलकों में हलचल मच गई है। अपने पोस्ट में केजरीवाल ने आरोप लगाया कि

सरकारें हादसों से कोई सबक नहीं ले रही

नोएडा हादसों को लेकर अरविंद केजरीवाल का तर्क

नई दिल्ली, 6 फरवरी. नोएडा में हुई दर्दनाक घटना को लेकर धियासत तेज हो गई है। आम आदमी पार्टी के राष्ट्रीय संयोजक और दिल्ली के पूर्व मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल ने इस मामले को लेकर केंद्र और राज्य सरकार पर कड़ा हमला बोला है।

उन्होंने इसे महज हादसा मानने से इनकार करते हुए सरकार की लापरवाही का नतीजा बताया है। केजरीवाल का यह बयान सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म 'एक्स' पर सामने आया, जिसके बाद राजनीतिक हलकों में हलचल मच गई है। अपने पोस्ट में केजरीवाल ने आरोप लगाया कि



सरकारें बीते हादसों से कोई सबक नहीं ले रहीं और गैर-जिम्मेदार बचने का तरीका खामियाजा आम जनता, खासकर मासूमों को अपनी जान देकर चुकाना पड़ रहा है। इसके साथ ही उन्होंने पीड़ित परिवार के प्रति संवेदना व्यक्त करते हुए ईश्वर से उन्हें शक्ति देने की प्रार्थना भी की।

यह बयान ऐसे समय में आया है जब देश के अलग-अलग हिस्सों में सुरक्षा और प्रशासनिक लापरवाही को लेकर सवाल उठ रहे हैं। नोएडा की इस घटना ने एक बार फिर सरकारी जिम्मेदारी और जवाबदेही पर बहस छेड़ दी है। नोएडा में हुई एक दर्दनाक घटना को लेकर अरविंद केजरीवाल ने सरकार पर तीखा हमला बोला है। सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म 'एक्स' पर साझा किए गए अपने बयान में केजरीवाल ने इस घटना को हादसा मानने से इनकार करते हुए इसे सरकार की लापरवाही का परिणाम बताया। केजरीवाल ने अपने पोस्ट में लिखा, 'ये हादसा नहीं, बल्कि हत्या है।'

एक नजर में



वर्ल्ड डिफेंस शो : भारत की रक्षा ताकत का प्रदर्शन
नई दिल्ली, 06 फरवरी. सऊदी अरब में 8-9 फरवरी को आयोजित होने का रहे 'वर्ल्ड डिफेंस शो 2026' में भारत भी प्रमुख रूप से भाग लेगा। रक्षा राज्य मंत्री संजय सेठ इस कार्यक्रम में भारत का प्रतिनिधित्व करेंगे और उच्चस्तरीय भारतीय प्रतिनिधिमंडल का नेतृत्व करेंगे। इस बार 700 से अधिक रक्षा कंपनियां और लगभग 400 सरकारी व आधिकारिक प्रतिनिधिमंडल हिस्सा लेंगे। भारत पहली बार इस शो में अपना 'ईंडिया पवेलियन' लगाएगा, जिसका उद्घाटन रक्षा राज्य मंत्री करेंगे। 400 वर्ग मीटर में फैले पवेलियन में भारत की रक्षा तकनीक और उत्पादन क्षमता प्रदर्शित की जाएगी।

इटावा हाईवे टोल का मामला गडकरी तक पहुंचा

इटावा, 6 फरवरी. उत्तर प्रदेश के इटावा जिले में बखियापुरा टोल लाजा पर शुरू की गई वसूली के विरोध में समाजवादी पार्टी के सांसद जितेंद्र कुमार दोहरे ने केंद्रीय सड़क परिवहन एवं राजमार्ग मंत्री नितिन गडकरी को पत्र लिखकर हस्तक्षेप की मांग की है। सांसद ने पत्र में टोल वसूली को नियमों के विरुद्ध बताते हुए इसे तत्काल बंद कराने का अनुरोध किया है।

मंत्रालय ने लाइटटैट रडार खरीदने प्रस्ताव मांगे

नई दिल्ली 06 फरवरी. ऑपरेशन सिंदूर के दौरान बड़ी संख्या में पाकिस्तान के ड्रोनों के भारतीय वायु सीमा में घुसफेर करने के बाद सीमाओं पर निगरानी को पुख्ता करने के लिए सेना 725 करोड़ रुपये की लागत से 30 अत्याधुनिक रडार लाइटटैट रडार खरीदने जा रही है। रक्षा मंत्रालय ने सेना के लिए 30 लाइटटैट रडार की खरीद के लिए इच्छुक कंपनियों से प्रस्ताव मांगे हैं। यह खरीद फास्ट ट्रेक खरीद प्रक्रिया से की जायेगी। ये नये रडार कम ऊंचाई पर उड़ने वाले ड्रोन का पता लगाने में सक्षम हैं। इन प्रस्तावों के संबंध में सेना की वेबसाइट पर जानकारी दी गयी है।

गड्डे में गिरकर युवक की मौत, तीन सस्पेंड

नई दिल्ली, 06 फरवरी. पश्चिमी दिल्ली के जनकपुरी में 15 फीट गहरे गड्ढे में बाइक सवार की मौत के मामले में पुलिस ने दिल्ली जल बोर्ड के अधिकारियों और कॉन्ट्रैक्टर के खिलाफ गैर इरादतन हत्या का मामला दर्ज किया है। यह घटना 5 फरवरी की देर रात हुई, जब 25 वर्षीय कमल भयानी दिल्ली जल बोर्ड की निर्माण साइट पर खोदे गए गड्ढे में गिरकर गंभीर रूप से घायल हो गए और उनकी मौत हो गई। कमल कैलाशपुरी का निवासी था और एक प्राइवेट बैंक के कॉल सेंटर में कार्य करता था। घटना की सूचना मिलने पर 6 फरवरी सुबह 8 बजे पुलिस और बचाव दल मौके पर पहुंचे और गड्ढे से कमल का शव निकाला।

पोलैंड : भारत तीसरी सबसे बड़ी अर्थव्यवस्था बनने की राह पर

नई दिल्ली, 06 फरवरी. पोलैंड के उप विदेश मंत्री व्लादिस्लाव बार्तोशेव्स्की ने कहा है कि भारत अब एक बड़ी आर्थिक शक्ति बन चुका है और प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के नेतृत्व में दुनिया की तीसरी सबसे बड़ी अर्थव्यवस्था बनने की दिशा में तेजी से आगे बढ़ रहा है। उन्होंने बताया कि वर्तमान में भारत जीडीपी के हिसाब से दुनिया में चौथे स्थान पर है और 1.5 अरब लोगों के विशाल बाजार को कोई भी देश नजरअंदाज नहीं कर सकता। भारत-अमेरिका ट्रेड डील पर उन्होंने कहा कि मुक्त व्यापार समझौता (सझा) होना बेहतर है, क्योंकि टैरिफ से आम लोगों पर



लागत बढ़ती है। कम शुल्क से सम्पूर्ण बढ़ती है। व्यापारिक संबंधों में पोलैंड ने आईसीटी सेक्टर पर विशेष ध्यान देने की बात कही, क्योंकि यह भारत की जीडीपी का लगभग 9 प्रतिशत और पोलैंड की 7 प्रतिशत है। साथ ही डिजिटल टेक्नोलॉजी और ई-गवर्नेंस में भी सहयोग की संभावनाएं हैं।

विस अध्यक्ष को अवमानना की चेतावनी

दल बदल मामले में सुप्रीम कोर्ट ने की सुनवाई

नई दिल्ली, 6 फरवरी. उच्चतम न्यायालय ने तेलंगाना विधानसभा अध्यक्ष को अंतिम चेतावनी देते हुए निर्देश दिया है कि वे भारत राष्ट्र समिति (बीआरएस) के विधायकों के कांग्रेस में शामिल होने संबंधी शेष अयोग्यता याचिकाओं पर तीन सप्ताह के भीतर सकारात्मक रूप से निर्णय लें। न्यायालय ने स्पष्ट किया है कि अगर इस समय सीमा का पालन नहीं किया गया, तो उनके विरुद्ध अवमानना की कार्यवाही शुरू की जायेगी। न्यायमूर्ति संजय करोल और न्यायमूर्ति ए.जी. मसोह की पीठ शुरुवार को 31 जुलाई 2025

आईपीएस मीणा के दावे को किया खारिज

उच्चतम न्यायालय ने तमिलनाडु कैडर के 2004 बैच के आईपीएस अधिकारी की उस याचिका को खारिज कर दिया जिसमें उन्होंने उसी चयन वर्ष के लिए राजस्थान कैडर में एक आंतरिक रिक्रि के आवंटन की मांग की थी। अदालत ने कहा कि इस तरह के विलंबित दावों पर विचार नहीं किया जा सकता क्योंकि वे कैडर आवंटन की व्यवस्था को अस्थिर कर देंगे। न्यायमूर्ति राजेश बिंदल की पीठ ने टिप्पणी की कि अपीलकर्ता रूपेश मीणा ने 2004 के चयन के छह साल बाद केवल 2010 में अपना दावा पेश किया था।

श्रमिकों की समृद्धि से ही होती है देश की प्रगति- डॉ. मांडविया

नई दिल्ली, 06 फरवरी. श्रम एवं रोजगार मंत्री डॉ. मनसुख मांडविया ने कहा है कि श्रमिकों की समृद्धि से देश की प्रगति होती है इसलिए श्रमिकों का कल्याण, सम्मान और सुरक्षा राष्ट्रीय विकास के प्रति सरकार की दृष्टि का केंद्र बिंदु है। डॉ. मांडविया ने सोशल मीडिया एक्स पर इस बारे में एक पोस्ट में शुरुआत को कहा कि ओडिशा के पुरी में भारतीय मजदूर संघ के 21वें त्रैवार्षिक सम्मेलन के उद्घाटन सत्र को संबोधित किया। उनका कहना था कि श्रम राष्ट्र निर्माण का आधार है और श्रमिकों का सम्मान विकसित भारत की दिशा तय करता है और प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के नेतृत्व में वे इस संकल्प को साकार करने में अपना सहयोग दे रहे हैं। उनका कहना था कि न केवल देश का सबसे बड़ा ट्रेड यूनियन है, बल्कि विश्व के सबसे बड़े संगठनों में से एक है और इसने श्रमिकों के कल्याण के लिए काम करने, देश के कार्यबल के लिए न्याय सुनिश्चित करने और उन्हें राष्ट्रीय विकास और आर्थिक विकास में भागीदार बनाने में महत्वपूर्ण भूमिका निभाई है।

ऑडिपत्रक

कृपया कर्जदार JLRJL23011062-वीर सिंह मराठी के संदर्भ में इस समाचार पत्र में दिनांक 04.02.2026 को प्रकाशित मांग सूचना का संदर्भ लें। इस सूचना में प्रथम पैराग्राफ इस प्रकार पढ़ा जावे।

अधोहस्ताक्षरी वित्तीय आस्थियों का प्रतिनिधित्व और पुरनिर्माण तथा प्रतिभूति हित प्रवर्तन अधिनियम, 2002 (उक्त अधिनियम) के अधीन सेंट्रल हाउसिंग फाइनेंस लिमिटेड का प्राधिकृत अधिकारी है। प्राधिकृत अधिकारी ने उक्त अधिनियम की धारा 13 (1) के साथ पंक्ति प्रतिकृति हित (प्रवर्तन) नियमवली, 2002 के नियम 3 के अधीन प्रवर्तन शक्तियों के प्रयोग में उक्त अधिनियम की धारा 13 (2) के अधीन मांग सूचनाएं जारी की थीं, जिनमें निम्नलिखित कर्जदार (नों) (उक्त कर्जदार) से उनको जारी की गई संबंधित मांग सूचना (ओं) में वर्णित राशि(यों), जो यहां नीचे भी दी गई है, चुकाने की मांग की गई थी।

OFFICE OF THE NAGAR PANCHAYAT ARJUNDA, DISTT- BALOD (C.G.) NOTICE INVITING TENDER (1ST CALL)

Main Portal: <https://eproc.cgstate.gov.in>
SYSTEM TENDER No.: 185170, NIT No. 2011 Dated 04/02/2026
Online tender are invited by the Chief Municipal Officer, Nagar Panchayat, Arjunda for the following work in Form "F" for lump sum contract from the contractors registered with Unified Registration System (Single Window) on GoC PWD & e-Procurement System Portal (<https://eproc.cgstate.gov.in>) as per the key Dates mentioned below. All other conditions for submission of tenders and criteria for prequalification etc. have been mentioned in the tender documents.

SYSTEM TENDER No.	NAME OF WORK	PROBABLE AMOUNT OF CONTRACT	BID DUE DATE
185170	Design, Construction, Testing, Commissioning of All The Components of Interception and Diversion Based Sewage Treatment Plant (STP) Work Including 05 Years of Operation and Maintenance of The Entire System in Nagar Panchayat, Arjunda under SBM 2.0	239.22 Lakh	Date: 26-02-2026 Time: 17:00

The tender documents containing detailed terms & conditions are available for free download on GoC e-Procurement portal <https://eproc.cgstate.gov.in> through sub portal of Urban Administration & Development Department <https://uad.cg.gov.in> Bidders have to quote online their prices along with Technical and commercial bids in prescribed formats on the above mentioned portal only.

Chief Municipal Officer
Nagar Panchayat Arjunda

	एसएमएफजी इंडिया होम फाइनेंस कंपनी लिमिटेड कॉर्पोरेट कार्यालय: 503 और 504, 5 ^{वीं} मंजिल, जी.एन.ए.डी. बिल्डिंग, बोकरी मेन रोड, बांद्रा कुर्ली कॉम्प्लेक्स, बांद्रा (ई), मुंबई - 400051, एजीक्यूटिव कार्यालय: कॉमर्शियल आईटी पार्क, टॉवर बी, पल्लो मॉडल, नंबर 111, माडेट पुनर्माहौल रोड, पोस्ट, चेन्नई - 600116, टीएन
--	--

अवल संपत्तियों की बिक्री के लिए बिक्री नोटिस

प्रतिभूतिकरण एवं वित्तीय आस्थियों का पुनर्निर्माण एवं प्रतिभूति हित प्रवर्तन अधिनियम, 2002 के अंतर्गत अवल आस्थियों की बिक्री के लिए 15 दिनों की ई-नीलामी बिक्री सूचना, प्रतिभूति हित (प्रवर्तन) नियम, 2002 के नियम 9 (1) के प्रावधान के साथ। इसके द्वारा आम जनता और विशेष रूप से श्रद्धालु (कों) और गारंटर (कों) को सूचित किया जाता है कि: नीचे सूचीबद्ध अवल संपत्तियाँ ("प्रतिभूति आस्थियाँ"), जो सुरक्षित लेनदार के पास गिरवी/भारित हैं, जिनका कब्जा SMFG इंडिया होम फाइनेंस कंपनी लिमिटेड (जिसे आगे SMHFC कहा जाएगा) ("प्रतिभूति लेनदार") के प्राधिकृत अधिकारी द्वारा ले लिया गया है, "जहाँ है जैसा है" और "जो कुछ भी है" के आधार पर बेची जाएगी। नीचे उल्लिखित विधि और समय पर, नीचे उल्लिखित बकाया राशि और उस पर आगे के व्याज और वसूली को तारीख तक के अन्य खर्चों की वसूली के लिए, SMHFC सुरक्षित लेनदार को नीचे उल्लिखित उधारकर्ता(ओं) और गारंटर(ओं) से देना।

स. क्र.	उधारकर्ता/गारंटर का नाम लेन	संपत्तियों का विवरण	आश्चित मूल्य:		ई-नीलामी की तिथि और समय	इंस्पडी जमा करने की तिथि
			बकाना राशि जमा:	सुबह		
1	लैन नं.- 604207210340244 1. मनीष सेन 2. प्रियम सेन 3. शिव प्रतिष्ठान	मकान निगम संख्या 431 का पूरा हिस्सा पुराने खसरा संख्या 303 के हिस्से पर निर्मित नया खसरा संख्या 303/1, क्षेत्रफल 25*20 = 500 वर्ग फुट भू-तल का निर्माण 375 वर्ग फुट, मोजम में स्थित जवबलपुर एन बी 264 पी एन संख्या 04, सिविल कॉलोनी में स्थित महात्मा गांधी वाई, सहरोल एवं प्लान जवबलपुर, मध्य प्रदेश - 482001 सीमाई इस प्रकार हैं: पूर्व: नाली, पश्चिम: सेन का मकान, उत्तर: 20 फुट चौड़ी सड़क, दक्षिण: पाठक जी का मकान।	₹. 12,30,000/- ₹. 1,23,000/-	25.02.2026 सुबह 11:00 बजे से दोपहर 1:00 बजे तक	24.02.2026	

बिक्री के नियम और शर्तें नीचे दिए गए हैं और वे विवरण हमारी/सुरक्षित ऋणदाता की वेबसाइट पर भी उपलब्ध हैं: <https://biddeal.in> और <https://www.grihashakti.com/pdf/E-Auction.pdf>। इच्छुक बोलीदाता निम्नलिखित से भी संपर्क कर सकते हैं: विनय राठौर, ईमेल: vinay.rathour@grihashakti.com, मोबाइल नंबर: 9827121084, श्री निराली दे, मोबाइल नंबर: 8655619157, ईमेल: Niloy.Dey@grihashakti.com

स्थान : जबलपुर, मध्य प्रदेश
दिनांक : 06.02.2026

म.प्र. गृह निर्माण एवं अधोसंरचना विकास मण्डल



विस्तृत जानकारी एवं ई-ऑफर की सुविधा www.mphousing.in/ www.mponline.gov.in कियोस्क पर उपलब्ध
जबलपुर शहर के मध्य ओमती हाइट्स परिसर छोटी ओमती जबलपुर में बहु मंजिला आवासीय फ्लैट्स स्वयं वित्तीय योजना अंतर्गत क्रय करने का सुहृदा अवसर

क्र.	भवन का प्रकार एवं क्रमांक	निर्मित क्षेत्रफल (व.मी./प्रति फ्लैट्स)	कुल कीमत (रुपये/प्रति फ्लैट्स)	धरोहर राशि (रु. लाख)	आवेदन शुल्क (रुपये/जी.एस.टी. सहित)
1.	2BHK 809	90.98	49,44,000/-	9,88,000/-	1770/-
2.	2BHK 606	91.19	49,55,500/-	9,91,100/-	1770/-

आवासीय भवनों हेतु नियम एवं शर्तें:- (1) आवेदन एवं धरोहर राशि ऑनलाइन ही स्वीकार की जायेगी। (2) योजना पूर्णतः स्वयं वित्तीय योजनांतर्गत है, पूर्ण राशि जमा कर विक्रयनामा पंजीकृत करने के उपरांत ही भवनों का कब्जा प्रदान किया जायेगा। (3) दुकान/चैम्बर का ऑफर स्वीकृत होने उपरांत शेष राशि नियमानुसार किश्तों में देय होगी। (4) समय-समय पर मण्डल एवं शासन द्वारा जारी आदेश/परिपत्र हितग्राही पर बंधनकारी होंगे। (5) भवन/भूखण्ड का कब्जा लेने के पश्चात् पानी/बिजली कनेक्शन आवंटित को स्वयं के व्यय पर लेना होगा। (6) भवन के मूल्य के अलावा शासन द्वारा निर्धारित जी.एस.टी. की राशि एवं बाह्य सेवा संधारण प्रभार भवन के मूल्य का 5 प्रतिशत अलग से देय होगा। (7) ऑफर स्वीकृति के उपरांत यदि आवेदक स्वयं के कारणों से ऑफर निरस्त करते हैं तो धरोहर राशि का 50 प्रतिशत कटौती कर शेष राशि बिना ब्याज के आवंटित को वापस की जायेगी। (8) मण्डल/शासन के नियम एवं शर्तें लागू।

(1) आवेदन एवं धरोहर राशि जमा करने की अंतिम तिथि 09.03.2026. (2) ऑफर राशि/विड डालने की अंतिम तिथि 10.03.2026 (3) ऑफर खोलने की तिथि 11.03.2026 शाम 3:00 बजे।
संपर्क : D.K. VARKADE (ESTATE OFFICER) Mob. 9425485021, ANKITA GUPTA (ASSISTANT ENGINEER/SUB ENG.) Mob. 9406916509, Phone No.- 0761-2671404, MP Online Help Line 0755-6720200 (संपदा अधिकारी, संभाग-2, धनवंतरी नगर, जबलपुर)

ऑनलाइन भुगतान में अस्वीकृति होने पर WhatsApp Helpline Number 972426023
संजीकृत आवंटित अब अपनी समस्त देय राशि का भुगतान मंडल के मोबाइल एप (MPHIDB_GEO को Google Play Store पर उपलब्ध है) के माध्यम से भी कर सकते हैं। दिये गये QR-Code को स्कैन कर भी एप डाउनलोड कर सकते हैं।
Follow us on www.mphousing.in
म.प्र. माध्यम/124357/2026